



Neutral Citation No.- 2026:AHC:18563

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-13429 वर्ष 2024

पप्पू आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: श्री प्रकाश द्विवेदी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची पुनः पुकार किया गया।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री श्री प्रकाश द्विवेदी, अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री संजीव सिंह, अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री सुनील कुमार की सहायता से सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक द्वारा केस अपराध संख्या-219 वर्ष 2021 में धारा 302, 201 भ०द०वि०, थाना-रॉबर्ट्सगंज, ज़िला: सोनभद्र के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
4. आवेदक की ओर से दायर यह दूसरी ज़मानत याचिका है। पहले मामले को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने 2021 के आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-29314 में पारित दिनांक 31.8.2021 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि एक नए आधार के रूप में, यह कैद की अवधि है जिस पर आवेदक ज़मानत का हकदार है क्योंकि वह 14.5.2021 से जेल में है और उसकी कैद के बाद से साढ़े चार साल से अधिक समय बीत चुका है। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. तत्स्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आधार पर ज़मानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि आवेदक मुख्य आरोपी व्यक्ति है और उसने सूचनाकर्ता के पिता का गला घोट दिया था।

7. इस न्यायालय ने मुकदमे की स्थिति की मांग की थी। दिनांक 21.11.2025 की स्थिति रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि छह गवाहों से पूछताछ की गई है और केवल विवेचनाधिकारी से पूछताछ की जानी बाकी है।

8. 'एक्स' बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, 2024 INSC 909 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद, इसे अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप या तो दोषी साबित हो सकता है या आरोपी बरी हो सकता है। आरोप तय होने के बाद आरोपी को सामान्य रूप से ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए। बयान में यहां या वहां की विसंगतियों को देखकर भी इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

9. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने और मुकदमे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और आवेदक के मुख्य आरोपी व्यक्ति होने के नाते, मुझे आवेदक को ज़मानत देने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं लगता। ज़मानत आवेदन गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

10. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एस.सी.सी. 702**, के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है, अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 28, 2026

शालिनी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!